न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 029 /2020
आरसीएमएस **नम्बर** : 2020/00086

प्रार्थी:– **बनाम** **अप्रार्थीगण:–**

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाली

1. सरपंच ग्राम पंचायत नाना
2. महेन्द्रसिंह पुत्र नाथुसिंह जाति राजपूत, निवासी–नाना, तहसील बाली जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांक:– 24.11.2020

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, नाना द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी मिसल संख्या 109/2003–04, संकल्प संख्या 14 दिनांक 30.11.2004 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 04 दिनांक 30.11.2004 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील नोटिस के अनुपस्थित रहने से बहस एकपक्षीय सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत नाणा ने अप्रार्थी संख्या 2 महेन्द्रसिंह के पक्ष में राजस्थान पंचायत राज नियम के नियम 157–1(ख) के तहत पट्टा संख्या 4 दिनांक 30.11.2004 क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट का जारी किया। उक्त पट्टा खसरा नम्बर 2349 किस्म गैर मुमकिन रास्ते की भूमि में जारी किया गया है। जो प्रथम दृष्टया काबिल निरस्त है। उक्त विक्रय विलेख के संबंध में शिकायत जिला सतर्कता समिति में दर्ज होने के कारण तहसीलदार बाली द्वारा रास्ते में अतिक्रमण पाये जाने के कारण मौके से अतिक्रमण हटाया गया। इससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी विक्रय विलेख गैर मुमकिन रास्ते की भूमि में जारी किया गया है, ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में पट्टे जारी करने का अधिकार है, गैर मुमकिन रास्ते की भूमि में ग्राम पंचायत को विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार नही है। इसके साथ ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 2 के अलावा चार अन्य व्यक्तियों को भी उक्त खसरे में विक्रय विलेख जारी किए है। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत नाणा ने पंचायती राज नियमों की पालना किए बिना ही अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में विक्रय विलेख जारी किया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर संकल्प संख्या 14 दिनांक 30.11.2004 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 04 दिनांक 30.11.2004 को निरस्त फरमाया जावे।

हमने सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, ग्राम पंचायत का रेकर्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत नाना द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में संकल्प संख्या 14 दिनांक 30.11.2004 एवं इसकी पालना में पट्टा संख्या 04 दिनांक 30.11.2004 जारी किया गया है। उक्त विक्रय विलेख के संबंध में अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत के

अति. जिला कलेक्टर, पाली

समक्ष जो आवेदन पेश किया, उसमें उन्होंने उक्त भूखण्ड के संबंध में नाप–चौक एवं क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं किया। इसके पश्चात ग्राम पंचायत ने मिसल कायम की तथा आपत्ति इश्तिहार जारी किया, जो दो मौतबिरानों के समक्ष चस्पा किया जाना चाहिए, लेकिन उक्त नोटिस पर मात्र एक व्यक्ति के ही हस्ताक्षर अंकित है, मिसल संलग्न जो बयान फार्म है, उसमें भी एक फार्म पर दो व्यक्तियों के बयान अंकित किए गए है। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी विक्रय विलेख जारी करने विधिक प्रकिया का पालन नहीं किया है। हस्तगत निगरानी विकास अधिकारी, बाली ने जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति पाली के समक्ष परिवाद संख्या 67/2019 में दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशों की पालना में पेश की है, साथ ही सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 के अलावा ग्राम पंचायत नाना ने चार अन्य व्यक्तियों को भी खसरा नम्बर 2349 किस्म गैर मुमकिन रास्ते की भूमि में पट्टे जारी किये है। जैर निगरानी विक्रय विलेख के संबंध में पत्रावली संलग्न मौका फर्द दिनांक 20.03.2020 जो पंचायत प्रसार अधिकारी, प.स. बाली, ग्राम विकास अधिकारी नाणा एवं हल्का पटवारी नाणा द्वारा बनाई गई, उसमें यह उल्लेख किया गया है कि " जैर निगरानी पट्टा संख्या 04 में दर्शाये गये आस–पड़ौस के अनुसार उक्त पट्टा राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नम्बर 2349 किस्म गैर मुमकिन रास्ते में दर्ज है। " इससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी विक्रय विलेख गैर मुमकिन रास्ते की सरकारी भूमि में जारी किए गए है, जिसका ग्राम पंचायत को अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत को मात्र आबादी भूमि में राजस्थान पंचायती राज अधिनिमय 1994 के तहत विधिक प्रकिया का पालन करते हुए विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत नाना का संकल्प संख्या 14 दिनांक 30.11.2004 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 04 दिनांक 30.11.2004 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत नाना द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में में जारी मिसल संख्या 109/2003–04, संकल्प संख्या 14 दिनांक 30.11.2004 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 04 दिनांक 30.11.2004 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ मूल रेकर्ड ग्राम पंचायत नाना को भिजवाई जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 24/11/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली